

राजस्थान सरकार  
आयोजना (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1(70) आयो.-1/सां./2016

जयपुर, दिनांक:

10 JAN 2017

श्रीमती सुनीता बेनीवाल,  
सांख्यिकी अधिकारी,  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
झुन्झुनूँ।

विषय:- नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि लगाने बाबत।  
संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 13.01.2017।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके संदर्भित पत्र के संबंध में आपके नाम के आगे डॉक्टर उपाधि का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

sd-

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूँ को प्रेषित कर लेख है कि डॉ सुनीता बेनीवाल, सांख्यिकी अधिकारी की पीएचडी उपाधि एवं नाम के आगे डॉ की उपाधि का उपयोग करने की अनुमति संबंधी इन्द्राज इनकी सेवापुस्तिका में कर इस विभाग को सूचित करावें।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आयोजना विभाग।
4. डॉ सुनीता बेनीवाल, सांख्यिकी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूँ।
5. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव